(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3981-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-7-2012 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 26/2011-12 विविध

1- देवेन्द्र कुमार पुत्र बसंत विहार सक्सैना
2- श्रीमती उर्मिला पत्नि मदनमोहन शर्मा
3- श्रीमती शॉतिदेवी पत्नि शिवशंकर श्रीवास्तव
तीनों निवासी बैद्यों वाली गली, दतिया म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर दतिया
2- नजूल अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश ---3 नावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 9-12- - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 26/2011-12 विविध में पारित आदेश दिनांक 25-7-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि दतिया नगर स्थित नजूल भूखण्डों की जांच में नगर दतिया की शीट क्रमांक 34-C क्षेत्रफल 55.00 वर्गमीटर खण्डहर के रूप में खुली भूमि (आगे जिसे वाद विचारित भूमि अंकित किया गया है) पाई गई। नजूल

अधिकारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण कमांक 218-अ-20/1999-2000 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 28-9-2000 पारित करके उक्त भूमि पर शासकीय अभिलेख में खण्डहर म0प्र0शासन नजूल एंव प्रबंधक कलेक्टर दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनॉक 16-7-2012 को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-एक की कंडिका 18 के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 26/2011-12 विविध में पारित आदेश दिनांक 25-7-2012 से आवेदकगण का अभ्यावेदन वाद विचारित भूमि खण्डहर मध्य प्रदेश शासन की होने एंव कलेक्टर दतिया के आदेश दिनांक 28-9-2000 के विरूद्ध दिनांक 16-7-2012 को अतिविलम्ब से अभ्यावेन प्रस्तुत होने से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-एक की कंडिका 18 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है एंव अपर आयुक्त व्दारा इन्हीं नियमों के अंतर्गत आदेश पारित किया है , जबकि आवेदकगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष अभ्यावेदन में पारित आदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की है।

सामान्य नियम है कि जिन नियमों के अधीन मूल न्यायालय व्दारा वाद विचारित कर आदेश पारित किया जावेगा, उन्हीं नियमों के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत होगा। इस प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-एक की कंडिका 18 के अंतर्गत अभ्यावेदन में पारित आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 50 में निगरानी अग्राह्य है।

5/ यदि मामले में गुणदोष पर भी विचार किया जाय - कलेक्टर, दतिया के आदेश दिनांक 28-9-2000 के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 16-7-2012 को अर्थात लगभग 11 वर्ष 6 माह के अन्तर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जो अतिविलम्ब से है। वैसे भी वाद विचारित भूमि खण्डहर के रूप में मध्य प्रदेश शासन की है, जिसके कारण आवेदकगण वाद विचारित भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने के पात्र नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 26/2011-12 विविध में पारित आदेश दिनांक 25-7-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर